



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226013
CG-DL-E-19032021-226013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942

No. 1168]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2021

का.आ. 1260(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में –

क्रम संख्यांक	नाम	पद
1.	श्री हितेश कुमार खरे	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी- II
2.	डॉ. देवाशीष माइति	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II

को निम्नलिखित औषधियों के वर्गों के सिवाय, औषधियों के सभी वर्गों के बाबत संपूर्ण भारत के लिए, सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात:-

- सेरा;
- इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीनों का विलयन;

3. वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से);
4. टॉक्सिन;
5. एंटीजन;
6. एंटी- टॉक्सिन;
7. विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;
8. बैक्टेरियोफेगस;
9. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी- सेरा;
10. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;
11. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;
12. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
13. वी डी आर एल एंटीजन;
14. अन्तः गर्भाशय युक्तियाँ और फेलोप छल्ले;
15. मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद;
16. मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें; और
17. कण्डोम

[फा.सं. एक्स.11014/4/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2021

S.O. 1260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby appoints,—

Serial number	Name	Designation
1.	Shri Hitesh Kumar Khare	Senior Scientific Officer-II
2.	Dr. Debasis Maiti	Senior Scientific Officer-II

at Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, to be the Government Analysts for the whole of India in respect of all classes of drugs, except the classes of drugs mentioned below, namely:—

- (i) Sera;
- (ii) Solution of Serum Proteins intended for injection;
- (iii) Vaccines (parenteral and Oral);
- (iv) Toxins;
- (v) Antigens;
- (vi) Anti-toxins;

- (vii) Sterilized Surgical Ligature and Sterilized Surgical Sutures;
- (viii) Bacteriophages;
- (ix) Anti-sera for veterinary use;
- (x) Vaccine for veterinary use;
- (xi) Toxoid for veterinary use;
- (xii) Diagnostic Antigens for veterinary use;
- (xiii) VDRL Antigen;
- (xiv) Intra-Utrine Devices and Falope Rings;
- (xv) Human Blood and Human Blood Products;
- (xvi) Blood Grouping reagents and diagnostic kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B surface Antigen and Hepatitis C Virus; and
- (xvii) Condom

[F.No. X.11014/4/2020-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.